डीजी परिपत्र संख्या - 03 /2017

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिसमहानिदेशक,
उत्तरप्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः फरवरी 02 ,2017

विषयः-विद्युत उपकरणों की होने वाली चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में विद्युत उपकरणों यथा ट्रांसफार्मरों, कण्डक्टरों, विद्युत तारों आदि की चोरी की घटनायें विभिन्न जनपदों में घटित होती हैं, जिससे जहाँ एक ओर विद्युत विभाग को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है, वहीं विद्युत के आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जा रही विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। जिससे कभी-कभी पुलिस को जनमानस के रोष के कारण गम्भीर कानून व्यवस्था की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

डीजी परिपत्र संख्या : 75/07 दिनांक 03.09.07
डीजी परिपत्र संख्या : 08/07 दिनांक 20.02.07
डीजी परिपत्र संख्या : 45/06 दिनांक 22.12.06
डीजी परिपत्र संख्याः 49/15 दिनांक 07.07.15
एडीजी परिपत्र : 08/01 दिनांक 28.09.01

इस प्रकार के घटित अपराधों पर प्रभावी रोकथाम हेतु मुख्यालय स्तर से समय-समय पर पार्श्वांकित परिपत्रों को निर्गत कर आप सभी को पालनार्थ आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए इस परिपत्र के माध्यम से मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस प्रकार के अपराधों को नियन्त्रण में रखने हेतु हर सम्भव प्रभावी वैधानिक कदम उठाये एवं मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत निर्देशों का अध्ययन कर एक कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही करायी जाये तथा इस प्रकार के अपराधों को रोकने हेतु निम्नांकित बिन्दु श्रेयकर होगें :-

- विद्युत उपकरणों/तार इत्यादि की चोरी के करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधि सम्मत कार्यवाही की जाये। यदि ऐसे प्रकरणों में विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा थाने पर सीधे सूचना दी जाती है, तो तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाये।
- यदि विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करने में थाने स्तर पर हीला-हवाली की बात संज्ञान में लायी जाती है तो तत्काल जॉच कर लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
- विद्युत उपकरण/तार इत्यादि की चोरी की प्रत्येक घटना की पृथक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए तथा एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में कई घटनाओं का समावेश करते हुए अभियोग कदापि न पंजीकृत किया जाये।
- विद्युत उपकरण/तार इत्यादि चोरी करने वालों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी कर चोरी हुए उपकरणों की बरामदगी का प्रयास किया जाये एवं इसकी मासिक समीक्षा अपराध गोष्ठी में की जाये तथा पंजीकृत अभियोग में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध एन0एस0ए0, गैगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये एवं विवेचना का गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण कराया जाये।
- जब भी विद्युत उपकरणों/तारचोरी के अपराधों से सम्बन्धित कोई अपराधी पकड़ा जाये तो उससे विस्तृत पूछताछ की जाये और उससे इस प्रकार के अन्य अपराधियों के शरणदाताओं, बिजली के माल के खरीददारों आदि का पता लगाया जाये एवं इनके विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- विद्युत ट्रांसफार्मरों, कण्डक्टरों, तार चोरी के अपराधों की सूचना दर्ज हो तो थानाध्यक्ष के अलावा क्षेत्राधिकारी भी घटनास्थल का निरीक्षण करें तथा इन घटनाओं की विवेचना अपने निकट पर्यवेक्षण तथा निकटता से कराना सुनिश्चित करें।
- इन अपराधों की रोकथाम हेतु प्रत्येक थाना क्षेत्र में बीट के आरक्षियों एवं गश्त ड्यूटी में जाने वाले पलिस कर्मियों को विशेष रूप से सतर्कता बरतने हेत निर्देश दिये जाये।

- इस प्रकार की घटनाओं के रोकथाम हेतु ग्राम चौकीदारों, ग्राम सुरक्षा समितियों, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों/सेना के कर्मियों से भी सहयोग लिया जा सकता है।
- इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त/प्रकाश में आये अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाये। यदि वे अपराध कार्यों में सक्रिय हो तो उनकी हिस्ट्रीशीट खोलकर उनकी निगरानी करने का प्रबन्ध किया जाये।
- इन अपराधों की रोकथाम हेतु जनपद में नियुक्त विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियो/कर्मचारियों से निकट समन्वय एवं सामन्जस्य बनाये रखना लाभकर होगा।
- विद्युत ट्रान्सफार्मर/तार चोरी के अभियोगों को विशेष आख्या अपराध की श्रेणी में रखकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के डीजी परिपत्र संख्या-49/2015 के माध्यम से दिशा-निर्देश पूर्व में निर्गत किये गए हैं। इन निर्देशों का भली-भांति अवलोकन कर अनुपालन सुनिश्चित करायें। बिजली तार/उपकरण चोरी के अपराधों की विवेचनाओं की गुणवत्ता का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए इसकी विवेचना उपनिरीक्षक या उससे उच्चतर अधिकारियों द्वारा ही की जाये तथा इसे हे0कां0(प्रो0) को कदापि सुपुर्द न की जाये।

उपरोक्त बिन्दु केवल कतिपय सम्भावनाओं, अनुमानों एवं अनुभवों के आधार पर आपके मार्गदर्शन हेतु अंकित किये गये हैं और इसके अतिरिक्त भी अनेक परिस्थितियॉं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके निराकरण हेतु आपके सक्रिय सहयोग एवं प्रयास की आवश्यकता होगी।

मैं चाहूँगा कि ऐसे अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आप स्वयं अपने नेतृत्व में प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करायें। विद्युत उपकरणों की चोरी के अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियो/कर्मचारियों को समुचित निर्देश निर्गत कर इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा शिथिलता न बरते।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

भवदीय

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2.पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4.अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ को इस आशय से कि अपने स्तर से विद्युत विभाग के प्रबन्ध निदेशकों को इस विषय में अवगत कराने का कष्ट करें।
5.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 समय-समय पर उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में जनपदों में हो रही कार्यवाही की समीक्षा करते रहें।
6.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 समय-समय पर उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में जनपदों में हो रही कार्यवाही की समीक्षा करते रहें।